तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/7237/2002/जयपुर श्रवण बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.8.19	**खण्डपीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, सदस्य** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री वैभव कृष्ण पारीक, अधिवक्ता अपीलांट श्रीमती पूनम माथूर, अति0 राजकीय अधिवक्ता **<u>निर्णय</u>** यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयुपर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–07–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी द्वारा एक वाद विचारण न्यायालय के समक्ष बाबत इस्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम सिरोहीकलां में स्थित ख0न0 251 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलार्थी/वादी की खातेदारी व काश्त की भूमि है जिस पर वादी अपने पूर्वजों के समय से ही काश्त करता आ रहा है तथा पैनल्टी भी अदा करता आ रहा है। सेट्लमेंट के समय पर्चा वादी के नाम आना चाहिए था परन्तु वादी के नाम नहीं आकर आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। उसके पश्चात दिनांक 10.6.92 को उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 3 गुल्ला पुत्र नानू रैगर को आवंटित कर दी गयी जबकि कब्जा काश्त शुरू से वादी का चला आ रहा है। दावा जबाव दावा के आधार पर 4 तनकीयात कायम की गयी । विचारण न्यायालय ने तनकीवाईज निर्णय करते हुये वादी का वाद अपने निर्णय वि डिक्री दिनांक 09.3.98 व 09. 9.98 से वादी का वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से ग्रसित होकर अपीलांट/वादी ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/7237/2002/जयपुर श्रवण बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.02 से अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.7.02 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील में सुनी गयी ।

योग्य अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थी/वादी अपने पूर्वजों के समय से विवादग्रस्त आराजी पर काश्त करता आ रहा है तथा पैनल्टी भी अदा करता आ रहा है। इस अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वह खातेदार सिद्व हो जाता है। सेट्लमेंट के समय पर्चा वादी के नाम आना चाहिए था परन्तु वादी के नाम नहीं आकर आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। सेट्लमेंट विभाग ने विवादित भूमि को गलत रूप से सिवाचयक दर्ज किया है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि रेस्पो0 संख्या 3 गुल्ला ने सेट्लमेंट विभाग से मिलकर उक्त विवादित भूमि को दिनांक 10.6.92 को अपने नाम आवंट्ति करवा ली। इस प्रकार जो भूमि का आवंट्न किया गया वह प्रथमदृष्ट्या ही गलत है। विवादित भूमि पर अपीलार्थी अपने पूर्वजों के समय काश्त करता आ रहा है इसलिए उसे विवादित भूमि खातेदारी प्रदान की जावे। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/7237/2002/जयपुर श्रवण बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन किया कि अपीलार्थी अपने प्रकरण को काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 पर सिद्ध नहीं कर पाया तथा ना ही काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय व कृषक अथवा उपकृषक था। काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय विवादित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी नहीं थी। जिसे बाद में सेट्लमेंट विभाग द्वारा सिवायचक दर्ज कर दिया गया। सिवायचक भूमि की खातेदारी देने का प्रावधाना नियमों में नहीं दिया गया है। बहस के अंत में अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त भूमियों के सबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के तहत कोई विधिसंगत खातेदारी प्रदान नहीं की गयी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत घोषणा का वाद लाने हेतु वर्ष 1955 में उसकी खातेदारी होना या काश्त होना भी प्रमाणित नहीं होता है। अपीलार्थी/वादी द्वारा सेट्लमेंट से पूर्व का और सेट्लमेंट के पश्चात का भी ऐसा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि सेट्लमेंट द्वारा उसकी खातेदारी समाप्त कर दी गयी है। अतिक्रमण की कार्यवाही में पैल्नटी जमा कराने से यह राजकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण का प्रकरण ही प्रमाणित होता है ना की विधिसंगत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये है जो विधिसम्मत है। हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टीए/7237/2002/जयपुर श्रवण बनाम सरकार व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2002 यथावत रखा जाता है निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य** **(मुकेश कुमार शर्मा)** **सदस्य**	